कार्यालय प्रधानाचार्य उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, उत्तरकाशी।

पत्रांक 507 /म0छात्रावास/विज्ञप्ति/2026–27 दिनांकः–२५, जुलाई, 2026

सेवामें,

संपादक,
अमर उजाला/दैनिक जागरण
उत्तरकाशी।

महोदय,

कृपया निम्नानुसार अपने दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति 6x9 cm के स्पेस में प्रकाशित करने का कष्ट करें एवं बिल प्रधानाचार्य उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटैक्निक संस्थान, उत्तरकाशी के पदनाम से निर्गत कर दो प्रतियों में जिला सूचना अधिकारी से सत्यापित कराने के उपरान्त संस्था में उपलब्ध करायें :–

कार्यालय प्रधानाचार्य उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, उत्तरकाशी।

निविदा सूचना

उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान, उत्तरकाशी के महिला व पुरूष छात्रावास में सत्र 2026–27 में भोजन मैस संचालन हेतु पंजीकृत फर्मों/ठेकेदारों से मोहरबंद निविदाऐं पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/स्वंय उपस्थित होकर 05 अगस्त, 2026 को अपरान्ह 02.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित नियम व शर्ते तथां धरोहर राशि आदि की जानकारी निविदा फॉर्म के साथ संलग्न है जो दिनांक 27.07.2026 से संस्था में किसी भी कार्य दिवसों में उपस्थित होकर अथवा संस्था की वेबसाइट http://gputtarkashi.org.in से प्राप्त की जा सकती है। निविदा दिनांक 05 अगस्त, 2026 को अपरान्ह 03.00 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार प्रधानाचार्य के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रधानाचार्य

भवदीय

(प्रभात कुमार)
प्रधानाचार्य

पृ0सं0 508-09 /म0छात्रावास/विज्ञप्ति/2026–27 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1- SOFTMAART, Software & Web Development, 11/10, Majestic Complex, Rajpur Road, Dehradun को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस संस्था की वेबसाइट में उपरोक्त निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र अपलोड करने का कष्ट करें।

2. संस्था नोटिस बोर्ड पर चस्पाने हेतु।

(प्रभात कुमार)
प्रधानाचार्य

प्रपत्र–क

तकनीकी निविदा

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक उत्तरकाशी के अधीन महिला व पुरूष छात्रावास की सत्र 2026–27 हेतु भोजन मैस संचालन हेतु तकनीकी निविदा फॉर्म

1. पंजीकृत फर्म का नाम :–...
2. निविदादाता का नाम :–...
3. पिता का नाम :–...
4. स्थाई निवास का पता :–..
5. पत्र व्यवहार का पता :–...
6. जी0एस0टी0 / फूड लाइसेंस नम्बर :–...
7. फोन / मो0 नं0..आधार नं0...
8. पैन नम्बर की छायाप्रति संलग्न करें।
9. किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।
10. फूड लाइसेंस की छाया प्रति संलग्न करें।
11. धरोहर राशि रू0 30000 (रूपए तीस हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्रॉफ्ट या बैंकर्स चैक जो प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक उत्तरकाशी के नाम से देय हो, संलग्न करें।
12. किसी राजकीय संस्था / विभाग में लगातार 01 वर्ष का सन्तोषजनक कार्य / अनुभव सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न करें।
13. किसी राजकीय संस्था / विभाग द्वारा प्रतिबन्धित / ब्लैक लिस्टेट न किये जाने संबंधी घोषणा पत्र निविदादाता द्वारा नोटरी से रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर संलग्न करें।

नोट– उक्त सभी की प्रति तकनीकी निविदा के साथ संलग्न की जानी है।

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं / हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ या करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा निविदा प्रपत्रों के साथ संलग्न शर्तों को भली–भांति पढ़ लिया गया है तथा मुझे / हमें स्वीकार है। साथ ही निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी प्रविष्टियां मेरी / हमारी जानकारी में सही है। किसी भी प्रकार की गलत सूचना हेतु मैं / हम जिम्मेदार रहूंगा / रहेंगे।

दिनॉक.....................................

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर................................

निविदाकर्ता का नाम.....................................

कार्यालय प्रधानाचार्य उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटैक्निक संस्थान उत्तरकाशी के अधीन महिला व पुरूष छात्रावास की सत्र 2026–27 हेतु भोजन मैस संचालन हेतु नियम एवं शर्तों का विवरण

(1)– महिला व पुरूष छात्रावास, उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटैक्निक संस्थान उत्तरकाशी में अध्ययनरत्/सम्भावित 30 छात्र–छात्राओं हेतु भोजन व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जानी है। छात्र–छात्राओं की संख्या समय–समय पर घट–बढ सकती है। अतः प्रत्येक माह छात्राओं की उपस्थिति के आधार पर ही भुगतान देय होगा।

(2)– छात्रावास समिति द्वारा भोजन मैन्यू प्रतिदिन प्रति सदस्य अधिकत्तम रू0 130/–(रूपया एक सौ तीस मात्र) की दर से स्वीकृति प्राप्त है (जी0एस0टी0 कर पृथक से देय नहीं होगा)।

(3) निविदादाताओं को उनके द्वारा निविदा में भरी गई दर के अनुसार प्रतिदिन प्रति सदस्य की दर से छात्रावास में निवासरत् छात्र/छात्राओं की उपस्थिति के आधार पर भोजन बिल छात्रों द्वारा देय होगा।

(4)– छात्रावास समिति द्वारा प्रतिदिन प्रति सदस्य की दर से स्वीकृत भोजन भत्ते की दर एवं प्रतीकात्मक भोजन मैन्यू के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराना होगा (प्रतीकात्मक भोजन मैन्यू की प्रति संलग्न है)। संलग्न मैन्यू मात्र प्रतीकात्मक है और इसे आवश्यक न्यूनतम कैलोरी निर्धारण की दृष्टि से रखा गया है। निविदादाता द्वारा वित्तीय निविदा फार्म में प्रतीकात्मक भोजन मैन्यू की दर्शायी गयी न्यूनतम दर को दृष्टिगत रखते हुये मैस संचालन हेतु निविदा का निर्णय लिया जायेगा।

(5)– निविदादाता द्वारा निविदा की दरें पूर्ण गुणात्मक में डाली जायेगी।

(6)– निविदादाताओं द्वारा तकनीकी एवं वित्तीय निविदायें अलग–अलग प्रस्तुत करनी होगी।

(7)– जिन निविदादाताओं के तकनीकी प्रपत्र निविदा के अनुरूप नही पाये जायेगें तो उनकी वित्तीय निविदा पर आगे विचार नहीं किया जायेगा।

(8)– तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग लिफाफे में प्रेषित करें तथा तकनीकी निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र की छाया प्रति, पैन नं0 की छायाप्रति, फूड लाइसेन्स की छाया प्रति तथा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्न करें।

(9)– निविदादाताओं को धरोहर राशि रू0 30,000.00 (रूपए तीस हजार मात्र) का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमान्ट ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक जो प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक उत्तरकाशी के पक्ष में बनाकर निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है अन्यथा सम्बन्धित निविदादाता के निविदा फार्म पर विचार नहीं किया जायेगा।

(10)– किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक उत्तरकाशी को होगा तथा किसी नियम व शर्तो में शिथिलता बरतने का अधिकार निविदा समिति के पास सुरक्षित होगा।

(11)– निविदादाता को वित्तीय निविदा फार्म मे दर्शाई जाने वाली दर में सभी करों को सम्मिलित करते हुए प्रति सदस्य प्रतिदिन की दर को दर्शाया जाना है एवं किसी भी कर/टैक्स का अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।

(12)– निविदादाता द्वारा वित्तीय निविदा में प्रतीकात्मक भोजन मैन्यू के आधार पर दर्शायी गयी न्यूनतम दर (समस्त करों को जोड़ते हुये) को ही निविदा निर्णय हेतु मान्य माना जायेगा।

(13)– यदि दो निविदादाताओं द्वारा भोजन मैन्यू की समान दर वित्तीय निविदा में दर्शायी जाती है तो उस स्थिति में निविदादाताओं द्वारा प्रतीकात्मक भोजन मैन्यू में उच्चीकरण हेतु दर्शायी गयी अतिरिक्त

भोज्य सामग्रीयों के आधार पर जिस निविदादाता की भोज्य सामग्रियों की मात्रा अधिक पाई जायेगी मैस ठेका उस ठेकेदार के पक्ष में देय होगा। निर्धारित मैन्यू में यदि कोई निविदादाता अतिरिक्त सामग्री देना चाहता है तो वित्तीय निविदा प्रपत्र में उसका विवरण दे सकता है।

(14)– धरोहर राशि टेण्डर स्वीकृत होने वाले निविदादाता की जमा रहेगी एवं अन्य निविदादाताओं की जमा धनराशि एक सप्ताह के अन्दर वापस कर दी जायेगी।

(15)– मैस कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य खर्चो का निर्वाह निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

(16)– निविदादाता द्वारा खाने के बर्तन तथा अन्य समस्त उपकरण जैसे गैस सिलेण्डर, चूल्हा आदि स्वयं वहन किये जायेंगे।

(17)– राष्ट्रीय पर्वो एवं मुख्य त्यौहारों पर स्पेशल खाने का प्रबन्ध निविदादाता द्वारा किया जायेगा, जिसके लिए प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक उत्तरकाशी द्वारा कोई भी अतिरिक्त धनराशि निविदादाता को देय नही होगी।

(18)– भोजन एवं कच्चे माल व फल आदि की गुणवत्ता ठीक न पाये जाने पर मैस की निविदा को किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है, अतः कच्चा माल व अन्य भोज्य पदार्थ स्वीकृत डायट मनी के अनुसार होना चाहिए।

(19)– मैस के अन्दर डायनिंग हॉल, स्टोर, किचन आदि से सम्बन्धित स्थानों एवं मैस के बाहर चारों तरफ की सफाई का कार्य कम से कम दिन मे तीन बार निविदादाता द्वारा कराया जायेगा एवं सफाई उच्चकोटि की रखना अनिवार्य है।

(20)– फल एवं सब्जियॉ ताजी व मौसम के अनुसार होनी अनिवार्य है।

(21)– भोजन की स्वच्छता, पौष्टिकता एवं स्वादिष्टता पर विशेष ध्यान रखा जाना अनिवार्य है।

(22)– यदि निविदादाता द्वारा मैस का ठेका लगभग एक माह पूर्व बिना सूचना दिये बीच सत्र मे छोड़ा जाता है, तो सम्बन्धित निविदादाता की पूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी एवं आवश्यक कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

(23)– मैस परिसर में केवल प्रधानाचार्य द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का ही प्रवेश मान्य होगा। परिसर में किसी भी मैस कर्मचारी जो कि मैस में निविदादाता द्वारा रखे जायेंगे, के द्वारा धूम्रपान एवं शराब का सेवन निषेध होगा तथा मैस में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों की जिम्मेदारी सभी परिस्थितियों में (घटना/दुर्घटना आदि की दशा में) निविदादाता की होगी।

(24)– छात्रावास उत्तरकाशी के मैस परिसर में स्टोर में रखी भोजन से सम्बन्धित समस्त भोज्य एवं पेय सामग्रियों व कच्चे माल की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार व उनके कर्मचारियों की होगी।

(25)– स्टोर, मैस एवं डाइनिंग हॉल की साफ–सफाई व स्वच्छता की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

(26)– जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत होगी उस निविदादाता को भोजन मैन्यू मे बढाई गई भोज्य पदार्थो की मात्राओं को जोड़ते हुये नये भोजन मैन्यू के अनुसार छात्रों के लिए भोजन की व्यवस्था एक सप्ताह के अन्दर करनी होगी।

(27)– जिस निविदादाता की निविदा स्वीकृत की जायेगी, उन्हें पत्र द्वारा दिये गये पत्राचार के पते पर प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक उत्तरकाशी द्वारा अवगत करा दिया जायेगा।

(28)– स्टोर/मैस में कोई भी बासी एवं खराब वस्तु को नहीं रखा जायेगा।

(29)– किसी भी भोज्य सामग्री के खराब पाये जाने पर उसके मूल्य के बराबर धनराशि की कटौती निविदादाता द्वारा प्रस्तुत बिल में से कर दी जायेगी।

(30)– मैस परिसर में रखी समस्त वस्तुओं की देख–रेख की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी यदि कोई वस्तु मैस में से गुम हो जाती है अथवा टूट जाती है तो उस वस्तु की/मूल्य के बराबर धनराशि की भरपाई निविदादाता/ठेकेदार द्वारा की जायेगी।

(31)– दूध, पनीर आदि सामग्रियों को रखने हेतु डीप फ्रिजर की व्यवस्था स्वयं निविदादाता द्वारा की जायेगी।

(32)– प्रमाण स्वरूप मॉगे गये समस्त प्रपत्रों के सम्बन्ध में प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किसी भी प्रमाण–पत्र के अभाव में समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

(33)– निविदा निर्णय के उपरान्त जिस किसी निविदादाता के पक्ष में निविदा खुलेगी, स्वीकृत निविदादाता यदि सत्र के मध्य में मैस का संचालन छोड देता है तो सम्बन्धित निविदा फार्म को काली सूची में रखते हुए तत्काल प्रभाव से द्वितीय स्थान पर रहे सफल निविदादाता को उसके द्वारा वित्तीय निविदा में दर्शायी गयी दर के अनुसार मैस का संचालन करने हेतु आमंत्रित किया जायेगा एवं प्रथम निविदादाता की सम्पूर्ण धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी तथा मैस संचालन का कार्य छोड़ने से द्वितीय स्थान के निविदादाता द्वारा छात्राओं की भोजन व्यवस्था करने तक उस अवधि में भोजन पर होने वाला समस्त व्यय पूर्व में मैस संचालन का कार्य छोड़ने वाले निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।

(34)– यह निविदा अगली निविदा स्वीकृत होने तक मान्य होगी, यदि निविदादाता का वर्षभर का कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो निविदा को अगले वर्ष के लिए विस्तार किया जा सकता है।

(35)– भोज्य पदार्थो को बनाने में प्रयोग किये जाना वाला कच्चा माल ब्रांडेड फर्म/कम्पनी, उत्तम ग्रेड, आई0एस0आई0, एफ0पी0ओ0 अथवा एगमार्क का होना चाहिए।

(36)– किसी नियम एवं शर्त का अनुपालन न होने की दशा में धरोहर राशि को जब्त कर लिया जायेगा।

(37)– स्वीकृति निविदादाता के बिल में आयकर आदि की विभाग द्वारा नियमानुसार कटौती की जायेगी।

(38)– जी0एस0टी0 नम्बर की छाया प्रति संलग्न करनी अनिवार्य है।

(39)– किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करें।

(40)– किसी राजकीय संस्था/विभाग द्वारा प्रतिबन्धित/ब्लैकलिस्ट न किये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र निविदादाता द्वारा नोटरी से रू0 10.00 के स्टॉम्प पेपर में सत्यापित कराकर संलग्न करना अनिवार्य है।

(41)– फर्म के बैंक खाता पासबुक की छाया प्रति(प्रथम पृष्ठ जिस पर बैंक खाता संख्या, नाम तथा पता अंकित हो)

(42)– निविदा प्रपत्र मूल्य राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक उत्तरकाशी के पक्ष में देय हो संलग्न करें।

(43)– संस्था को अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये वह किसी भी चरण में निविदा प्रक्रिया को रोक दे तथा पुनः नवीन निविदा आमंत्रित करे।

(44)– ऐसे निविदादाता जो कि तकनीकी निविदा में सफल नहीं हो पायेगे उनकी वित्तीय निविदा हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

(45)– निविदाकर्ता की ओर से किसी प्रकार के नियम अथवा शर्त आरोपित किया जाना विभाग को स्वीकार नहीं होगा।

(46)– समस्त खाद्य–अखाद्य सामग्री जिनमें गुणवत्ता/समाप्ति तिथि (मैन्यूफैक्चरिंग/एक्सपायरी तिथि) अंकित हो, वाली सामग्रियों की ही आपूर्ति की जायेगी।

(47)– निविदाकार प्रपत्र में कोई सुधार नहीं कर सकेगा।

(48)– निविदाकार, निविदा तैयार करने से जमा करने तक के समस्त व्यय हेतु उत्तरदायी होगा।

(49)– निविदाकार जिसकी निविदा स्वीकार होगी उसको यह अधिकार नहीं होगा कि उसके द्वारा लगाई गयी दर एवं स्वीकार की गयी दर में बढ़ोत्तरी किये जाने हेतु कोई दावा प्रस्तुत करें।

(50)– विभाग को बिना कोई कारण बताए प्राप्त किसी एक अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा। विभाग पर यह बाध्यकारी नहीं है कि वह सबसे न्यूनतम बोली को स्वीकार करें।

(51)– छात्रावास के छात्रों द्वारा किसी दिन निर्धारित मैन्यू में परिवर्तन के लिये निवेदन किया जाता है तो प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक उत्तरकाशी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में आदेशित करने पर निर्धारित मैन्यू में परिवर्तन के अनुसार भोजन व्यवस्था करनी होगी।

(52)– उक्त निविदा वर्तमान में महिला छात्रावास राजकीय पॉलीटैक्निक उत्तरकाशी में अध्ययनरत् एवं संभावित 30 छात्र–छात्राओं की भोजन व्यवस्था हेतु आमंत्रित की गयी है।

(53)– मैस संचालन में किसी भी प्रकार का बालश्रम निषेद रहेगा। उल्लंघन करने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा।

(54)– मैस में किसी भी प्रकार की टूट–फूट (फनीर्चर/भवन) की भरपाई निविदादाता द्वारा स्वंय की जायेगी।

(55)– निविदा से सम्बन्धित सभी जानकारी संस्थान की वेबसाइट http://gputtarkashi.org.in पर देखें।

(प्रभात कुमार)
प्रधानाचार्य
उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक
संस्थान उत्तरकाशी

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं...निविदादाता, प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक उत्तरकाशी के अधीन महिला व पुरूष छात्रावास की भोजन मैस का संचालन सफलतापूर्वक एवं बिना व्यवधान के स्वीकृत भोजन मैन्यू के अनुसार पूरे सत्र में करता रहूॅगा तथा भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता एवं स्वादिष्टता को बनाये रखूॅगा। मेरे द्वारा छात्रावास की भोजन मैस संचालन हेतु बिन्दु संख्या–(1) से (55) तक अंकित समस्त नियम/शर्तें बिन्दुवार पढ़ लिये है तथा मुझे मान्य है। यदि मेरे द्वारा छात्रावास के छात्रों को निर्धारित मैन्यू के अनुसार प्रतिदिन भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है या मैस का संचालन का कार्य बीच सत्र में छोड़ा जाता है, तो मेरे द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक उत्तरकाशी में जमा करायी गयी धरोहर राशि पूर्ण जब्त कर ली जाये तथा अतिरिक्त दिया गया आर्थिक दण्ड भी मुझे मान्य होगा।

दिनॉक................................

नाम..
पता व मुहर..
....

प्रपत्र–ख

वित्तीय निविदा

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटैक्निक उत्तरकाशी के अधीन महिला व पुरूष छात्रावास की सत्र 2026–27 हेतु भोजन मैस संचालन हेतु वित्तीय निविदा फॉर्म

1. पंजीकृत फर्म का नाम :–..
2. निविदादाता का नाम :–..
3. पिता का नाम :–...
4. स्थाई निवास का पता :–...
5. पत्र व्यवहार का पता :–...
6. जी0एस0टी0 / फूड लाइसेंस नम्बर :–...
7. फोन / मो0 नं0..आधार नं0...

8. प्रतीकात्मक भोजन मैन्यू (छायाप्रति संलग्न) की प्रति छात्र / छात्रा प्रतिदिन की न्यूनत्तम दर समस्त करों को जोड़ते हुये पूर्ण गुणात्मक में डाली जाय।
9. निविदा में दर समापन होने पर संलग्न भोजन मैन्यू के अतिरिक्त उपलब्ध कराये जाने वाली सामग्री की मात्रा एवं भार का दिनवार विवरण सहित के आधार पर समिति द्वारा निविदा स्वीकृत की जायेगी

- ....
- ....
- ....

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं..निविदादाता, उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान उत्तरकाशी में संचालित महिला व पुरुष छात्रावास की भोजन मैस का संचालन सफलतापूर्वक एव बिना व्यवधान के स्वीकृत भोजन मैन्यू के अनुसार पूरे सत्र में करता रहूँगा तथा भोजन की गुणवत्ता, पौष्टिकता एवं स्वादिष्टता को बनाये रखूँगा। मेरे द्वारा छात्रावास की भोजन मैस संचालन हेतु समस्त नियम / शर्ते बिन्दुवार (बिन्दु 01 से 55 तक) पढ़ लिये है तथा मुझे मान्य है। यदि मेरे द्वारा छात्रावास के छात्राओं को निर्धारित मैन्यू के अनुसार प्रतिदिन भोजन उपलब्ध नहीं कराया जाता है या मैस का संचालन का कार्य बीच सत्र में छोड़ा जाता है, तो मेरे द्वारा प्रधानाचार्य राजकीय पॉलीटेक्निक उत्तरकाशी में जमा करायी गयी धरोहर राशि पूर्ण जब्त कर ली जाये तथा अतिरिक्त दिया गया आर्थिक दण्ड भी मुझे मान्य होगा।

दिनॉक...................................

नाम...

पता...

मुहर..

जलपान गृह (कैन्टीन) उत्तराखण्ड राजकीय पॉलीटेक्निक संस्थान उत्तरकाशी।

सत्र– 2026–27

MENU

DAYS	BREAKFAST	LUNCH	TEA	DINNER
MONDAY	पराठा (आलू), अचार, चाय	अरहर की दाल, चावल, रोटी, सब्जी	चाय, बिस्किट	मसूर की दाल, चावल, रोटी, सब्जी
TUESDAY	रोटी, सब्जी, चाय	मिक्स दाल, चावल, रोटी, रायता	चाय, बिस्किट	मूंग की दाल, चावल, रोटी, सब्जी, खीर
WEDNESDAY	पराठा, चाय	राजमा, चावल	चाय, 02 रस	अरहर की दाल, चावल,रोटी, सब्जी
THURSDAY	रोटी, सब्जी, चाय	चना दाल, चावल, रोटी, सब्जी	चाय, 02 रस	अरहर की दाल, चावल,रोटी, सब्जी
FRIDAY	पराठा, चाय	कढ़ी, चावल	चाय, 04 बिस्किट	पनीर, रोटी, सब्जी, चावल, अरहर की दाल
SATURDAY	हलवा , चना, चाय	मिक्स दाल, चावल, रोटी, रायता	चाय, 02 रस	दला चना, रोटी, सब्जी / अण्डा करी
SUNDAY	छोले, पूरी, चाय	उड़द की दाल, सब्जी, चावल	चाय, 04 बिस्किट	रोटी, सब्जी, दला चना

नोट– 1. उपरोक्त मेनू **BREAKFAST, LUNCH, TEA, DINNER** में अंकित सामग्री में कभी भी आवश्यकता अनुसार संशोधन किया जा सकता है।

2. (**Millets**) जैसे– मंडुवा, झंगोरा, कुल्थी, राई की खीर, इत्यादि का सप्ताह में 01 बार दिया जाना आवश्यक है।

समिति सदस्य / अध्यक्ष

प्रधानाचार्य

1– श्री प्रदीप कुमार चमोली, अध्यक्ष
2– श्री अमरदीप, सदस्य
3– श्रीमती हेमलता, सदस्य
4– श्री प्रवीण सिंह नेगी, सदस्य
5– श्री धीरज प्रसाद, सदस्य